



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062020-219960
CG-DL-E-16062020-219960

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]
No. 203]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2020/ज्येष्ठ 26, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2020/JYAISHTHA 26, 1942

भारतीय दंत परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

सं.डीई-22-2020.—दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंत परिषद, केन्द्र सरकार की अनुमति से, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 12.01.2006, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मौजूदा मूल “भारतीय दंत परिषद (नए दंत महाविद्यालयों की स्थापना, नए या उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आरंभ तथा दंत महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- इन विनियमों को “भारतीय दंत परिषद (नए दंत महाविद्यालयों की स्थापना, नए या उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आरंभ तथा दंत महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) (15वां संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकता है;
- यह केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दिनांक 01.06.2020 से प्रभावी होंगे।

2. भारत के आधिकारिक राजपत्र, असाधारण, दिनांक 11.03.2016 और 15.03.2018 भाग III, खंड 4 में प्रकाशित “भारतीय दंत परिषद (नए दंत महाविद्यालयों की स्थापना, नए या उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आरंभ तथा दंत महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) संशोधित विनियम 2016 और 2018, में अधिसूचना दिनांक 07.03.2016 (8वां संशोधन) और दिनांक 12.03.2018 (10वां संशोधन) की तालिका के क्र.सं.8, कॉलम 4 में उद्धरित शब्द “31 मई तक” के बाद, समय अनुसूची के संबंध में, एतद्वारा निम्नलिखित प्रावधान की प्रविष्टि की जाती है, अर्थात्;

“वर्शते कि किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त सीटों के लिए, केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए, छात्रों को अंतिम तिथि 31.07.2020 तक ही प्रवेश दिया/ सम्मिलित (ज्वाँयन) किया जा सकता है।”

एम.एल.मीना, संयुक्त सचिव(विधि एवं प्रशासन)
[सं. विज्ञापन- III/4/असाधारण/59/20-21]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों अर्थात्, “भारतीय दंत परिषद (नए दंत महाविद्यालयों की स्थापना, नए या उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आरंभ तथा दंत महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006, को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 12.01.2006 के माध्यम से तथा अधिसूचनाएं दिनांक 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016, 05.07.2017, 15.03.2018, 05.07.2017, 11.10.2017, 11.06.2018 के द्वारा संशोधित किए गए।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2020

No.DE-22-2020.—In exercise of the powers conferred upon the Dental Council of India under Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendment to the existing Principal “Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006”, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12.01.2006 namely:-

1. Short title and Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the “Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (15th Amendment) Regulations, 2020.
- (ii) They shall come into force w.e.f. 01.06.2020 only for the academic year 2020-21.

2. In “Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (8th Amendment) Regulations, 2016 and (10th Amendment) Regulations, 2018”, published in Part III, Section 4 of the Official Gazette of India, Extraordinary, dated 11.03.2016 and 15.03.2018, after word “By 31st May”, occurred at S.No.8,

Column 4 of the table of Notification 07.03.2016 (8th Amendment) and 12.03.2018 (10th Amendment)” with respect to Time Schedule, the following proviso is hereby inserted namely:-

“Provided that the last date upto which students can be admitted /joined against vacancies arising due to any reason shall be 31.07.2020 only for the academic session 2020-21.”

M.L. MEENA, Jt. Secy. (L&A)

[ADVT. III/4/Exty/59/20-21]

Foot Note: The Principal Regulations namely, the “Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on vide Notification dated 12.01.2006 and amended vide notification dated 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016, 05.07.2017, 15.03.2018, 05.07.2017, 11.10.2017, 11.06.2018.